न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 216 / 2015 दायरा दिनांक : 09'.09.2015

उनवान

मांगीलाल पुत्र बिशनलाल, जाति माली, निवासी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री महेश प्रकाश गौतम

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 28.06.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 23.03.2015 प्रकरण संख्या 147 / 2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 94 / 2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.02.2014 से अपीलांट को ग्राम बारां, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 0.10 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 55 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.03.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल बारां की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 की मूल प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 0.10 हेक्टर, आराजी पर अतिक्रमी मांगी लाल पुत्र बिशनलाल, जाति माली, निवासी बारां का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है तथा कुछ हिस्से में अमरूद का बगीचा है । अतः विद्वान जिला कलेक्टर, बारां का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा